l. "Secretary" means the Secretary of the High Court Legal Services Committee;

m. "Section" means a section of the Act;

n. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6.

CHAPTER II

Members, Functions, Secretary and Funds of the Committee

3. Members of the High Court Legal Services Committee

3. 1.The Committee shall Consist of the following ex-officio members:-

a. a sitting Judge of the High Court nominated by the Chief Justice

Chairman

b. Senior most Chief Standing Counsel of the State Government at Allahabad.

Member

c. Senior most Chief Standing Counsel of the State Government at Lucknow.

Member

d. President of the High Court Bar Association at Allahabad;

Member

e. Presedent of the Advocate Associations of the High Court at Allahabad

Member

f. President of the Avadh Bar Association at Lucknow.

Member

g. Registrar of the High Court Member

h. Additional Registrar of the High Court at Lucknow

Member

2. The Chief Justice may nominate other members not exceding nine, from amongst persons possessing the experience and qualifications

(ङ) "समिति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है;

(च) "केन्दीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है;

(ज) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है;

(झ) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य समिति के सदस्य से है;

(ट) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव से है;

(ड) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ढ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

समिति के सदस्य, कृत्य सचिव और निधियाँ

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य

1. समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित) अध्यक्ष

(ख) इलाहाबाद में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम मुख्य स्थायी अधिवक्ता सदस्य

(ग) लखनऊ में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम मुख्य स्थायी अधिवक्ता सदस्य

(घ) अध्यक्ष, हाईकोर्ट, बार एसोसियेशन, इलाहाबाद सदस्य

(ङ) अध्यक्ष, एडवोकेट एसोसियेशन हाईकोर्ट, इलाहाबाद सदस्य

(च) अध्यक्ष, अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ सदस्य

(छ) निबन्धक, उच्च न्यायालय सदस्य

specified in sub-regulation (3);

3. A person shall not be qualified for nomination as a member unless he is;

a. an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including scheuled castes, scheduled tribes, women, children rural and urban labour;

b. an eminent person in the field of law or public administration; or

c. a person of repute who is specially interested in the implementaion of the Legal Services Schemes.

4. Term of Office and other conditions of the members

1. The term of the office of the members nominated under sub regulation (2) of regulation 3 shall be two years and such members shall be eligible for re-nomination.

2. A member nominated under sub-regulation (2) of regulation 3 may be removed by the Chief Justice, if he:

a. fails without sufficient cause to attend three consecutive meetings of the committee;

b. has been adjudged an insolvent;

c. has been convicted of an offence which in the opinion of the Chief Justice involves moral turpitude;

d. has become physically or mentally incapable of acting as a members; or

e. has, in the opinion of the Chief Justice, so abused his position as to render his continuance as member prejudicial to the public interest:

Provided that no member shall be removed from the committee under clauses (a), (b) or (e) without affording him an opportunity of being heard.

3. A member may, by writing under his hand addressed to the Chief Justice, resign from the membership of the Committee and the resignation

(ज) अपर निबन्धक, उच्च न्यायालय,
लखनऊ पीठ, लखनऊ — सदस्य

2. मुख्य न्यायाधीश उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से नौ से अनधिक अन्य सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।

3. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि वह :-

(क) कोई ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों महिलायें, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, के उत्थान में लगा हुआ हो, या

(ख) विधि या लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) कोई ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन से विशेष रूप से हितबद्ध हो।

4. सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें

1. विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नामित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

2. विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य को मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है यदि वह :-

(क) समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने में असफल रहता है;

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया हो;

(ग) किसी अपराध के लिये जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, दण्डित किया गया हो;

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप में सक्षम हो गया हो; या

(ङ) मुख्य न्यायाधीश की राय में उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

परन्तु किसी भी सदस्य को समिति से खण्ड (क) (घ) या (ङ) के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसकी सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

3. कोई सदस्य मुख्य न्यायाधीश को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित

shall take effect from the date on which it is accepted by the Chief Justice.

4. If any member nominated under sub-regulation (2) of regulation 3 ceases to be a member for any reason, the vacancy shall be filled up in the manner provided in these regulations for the residue of the term of the person in whose place he is nominated.

5. Al non-official members nominated under sub-regulation (2) of regulation 3 shall be entitled to payment of such travelling allowance and daily allowance in respect of Journeys performed in connection with the work of the Committee at the rates as admissible to Group "A" officer of the State Government.

5. Functions of the Committee

1. It shall be the duty of the committee to give effect to such policies, programmes and schemes of Legal Aid, Legal Advice and Legal Services as may be formulated and required by the Central Authority and the State Authority.

2. The Committee shall perform all or any of the functions, namely:

a. provide Legal Aid, Legal Advice and Legal Services to persons who are eligible for the purpose under the Act or the Rules;

b. organised and conduct Lok Adalats for High Court cases; and

c. encourage settlement of cases by way of negotiations arbitration and conciliation.

* 5A. Constitution of Sub-Committee

(1) The Committee may consitute a sub-committee for constitution of Lucknow Bench of the High Court for sub comittee. Efficient performance of its functions.

(2) The sub-committee shall consist of such members of the commmittee as may be decided by the Chairman.

(3) The sub-commiee shall perform such functions of the committee as may be entrusted to it

पत्र द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और यह त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे स्वीकृत किया जाय।

4. यदि विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य किन्हीं कारणों से सदस्य नहीं रह जाता है तो रिक्ति को इस विनियम में दी गयी रीति से उस व्यक्ति जिसके स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया जाय, की अवशेष अवधि के लिये भरा जायेगा।

(5) विनियम 3 के उपविनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट समस्त गैर सरकारी सदस्य समिति के कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

5. समिति के कृत्य

1. समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और अपेक्षित विधिक सहायता, विधिक सलाह और विधिक सेवाओं की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करें।

2. समिति सभी या इनमें से किसी कृत्य का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) अधिनियम या नियमावली के अधीन इस प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक सलाह और विधिक सेवा प्रदान करना;

(ख) उच्च न्यायालय के वादों के लिए लोक अदालत का आयोजन और संचालन करना; और

(ग) वादों को बातचीत, मध्यस्थता और सुलह द्वारा निरस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

* 5क. उपसमिति का गठन

(क) 1. समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उपसमिति का गठन कर सकती है।

2. उपसमिति में समिति के ऐसे सदस्य होंगे जैसे अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जायें।

3. उपसमिति, समिति के ऐसे कृत्यों का, जैसा समिति द्वारा समय-समय पर उसे न्यस्त किया जाय, पालन करेगी।

* Insert by U.P. Govt. Notificaton No. 39/SLSA-104/97 Dt. 11.9.1997.

* उ.प्र. सरकारी गजट अधिसूचना सं. 39/एस.एल.एस.ए.- 104/97 Dt. 11.9.1997.

by the committee from time to time.

(4) An Officer of the Hight Court, Lucknow Bench, Lucknow, not below the rank of the Joint Registrar, belonging to the Uttar Pradesh Higher Judicial Service, may be appointed by the Chairman to work as Secretary of the sub-committee in addition to his duties as such officer of the High Court. He may be paid honorarium of Rupees one thousand per month for the performance of the functions and discharge of the duties as secretary of the sub-committee."

6. Secretary of the Committee

1. An officer of the High Court, not below the rank of the Joint Registrar, belonging to the Uttar Pradesh Higher Judicial Service, may be appointed by the Chief Justice to work as Secretary of the Committee in addition to his duties as such officer of the High Court. He may be paid Honorarium of Rs. 1,000/- per month for the performance of the functions and discharge of the duties as Secretary.

2. The Secretary of the Committee shall be the principal officer of the Committee and shall:

a. be the custodian of all the assets, accounts, records and funds of the Committee and shall work under the supervision and direction of the Chairman;

b. maintain or cause to be maintained true and proper accounts of receipts and disbursements of the funds of the Committee in such form and in such manner as may be specified by the State Authority;

c. exercise such powers and perform such functions and discharge such duties as may be assigned to him by the Chairman; and

d. perform all other acts as may be expedient and necessary for efficient and proper performance of fucnctions and discharge duties of the Committee.

7. Transaction of business of the Committee

1. The Committee shall ordinarily meet once in

4. उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ का एक अधिकारी, जो संयुक्त निबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो और जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य हो, अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी के रूप में उप समिति के सचिव का कार्य करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। उसे उप समिति के सचिव के कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये एक हजार रूपये प्रतिमास मानदेय दिया जा सकता है।

6. समिति का सचिव

1. उच्च न्यायालय का अधिकारी जो संयुक्त निबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो और जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य हो, को मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी के रूप में समिति के सचिव का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसे सचिव के कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास का मानदेय दिया जा सकता है।

2. सचिव, समिति का मुख्य अधिकारी होगा और वह :-

(क) समिति की समस्त आस्तियों, लेखों, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा ;

(ख) समिति की निधियों की प्राप्तियों और सवितरणों का सही और उचित लेखा ऐसे रूप में और ऐसी रीति से जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय रखेगा या रखवायेगा;

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्त्तव्यों का पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाय;

(घ) समिति के कृत्यों और कर्त्तव्यों के दक्ष और उचित पालन और निर्वहन के लिए सभी अन्य कार्यों को करेगा, जो समीचीन और आवश्यक हो।

7. समिति के कारबार का संव्यवहार

1. समिति की बैठक साधारणतया प्रत्येक तीन माह में एक बार ऐसे दिनाँक को और ऐसे स्थान पर होगी जो सचिव द्वारा अध्यक्ष के पुर्वानुमोदन से निश्चित किया जाय।

2. (क) सभी नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को समिति के समक्ष उसके विचारण और विनिश्चय के लिए लाया जायेगा।

every three months, on such date and at such place as may be fixed by the Secretary with the prior approval of the Chairman.

2. a. All policy and other important matters shall be brought before the Committee for consideration and decision;

b. Any specific matter or matters as may be desired or required by the Committee, generally or otherwise, to be place before it, shall be brought before the Committee for its consideration and decision;

c. A meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman.

d. The quorum for a meeting shall be seven members including the Chairman;

e. For every meeting of the Committee, atleast two weeks notice shall be given to the members to attend the meeting; however an emergent meeting may be convened by the Secretary, in accordance with the directions of the Chairman, on short notice;

f. In respect of emergent matters, the Chairman may exercise the powers and perform the functions and discharged the duties of the Committee. All such matters shall however be placed before the Committee for its information and apporval.

3. One or more persons, who are engaged or interested in the upliftment of the weaker sections of the society who are considered suitable by the Chairman may be invited for any meeting in order to seek their views, co-operation and help. Such person shall have no right to vote at such meeting.

4. The Committee shall regulate its own procedure.

5. All questions at the meetings of the Committee shall be decided by a majority of the members present and voting and in case of tie, the person presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

6. The minutes of the proceedings of each

(ख) समिति द्वारा सामान्यतः या अन्यथा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये वांछित या अपेक्षित किसी विशिष्ट मामले या मामलों को समिति के समक्ष विचारण ऐर विनिश्चय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी;

(घ) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए सात सदस्य किसी बैठक की गणपूर्ति होंगे;

(ङ) समिति की प्रत्येक बैठक के लिये सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिये कम से कम दो सप्ताह को नोटिस दी जायेगी, तथापि अध्यक्ष के निर्देशानुसार, अल्प सूचना पर आपाती बैठक बुलायी जा सकती है;

(च) आपाती मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं तथापि ऐसे सभी मामलों को समिति के समक्ष उसे सूचनार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

3. एक या अधिक व्यक्ति, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुये या हितबद्ध हों, जो अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त उद्देश्य से किसी बैठक के लिये आमंत्रित किये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।

4. समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

5. समिति को बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यो के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

6. प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा सही, निष्ठापूर्वक अभिलिखित किया जायेगा। कार्यवृत्त की प्रति बैठक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मुख्य न्यायाधीश और राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

8. समिति की निधियां लेखे और लेखा परीक्षा

1. समिति की निधि में निम्नलिखित होंगे; अर्थात् -

(क) अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति को राज्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये गये धन या दिये गये अनुदान की समस्त राशियां;

(ख) अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई अनुदान या दान, जो

meeting shall be truly and faithfully maintained by the Secretary. A copy of the minutes shall, as soon as may be after the meeting, be forwarded to the Chief Justice and the State Authority.

8. Funds, Accounts and Audit of the Committee

1. The funds of the Committee shall consist of the following namely:-

a. all sums of money paid or any grants made by the State Authority to the Committee for the purposes of the Act;

b. any grants or donations that may be made to the Committee by any person, under intimation to the State Authority, for the purposes of the Act;

c. any other amount received by the Committee under the orders of any court or from any other source.

2. The funds of the Committee shall be maintained in a Seheduled Bank approved by the Committee. The Secretary shall operate the Bank accounts of the Committee in acordance with the directions of the Chairman.

3. All expenditure on Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services, as also expenditure necessary for carrying out the various functions of the Committee shall be met out of the funds of the Committee.

4. The accounts of the Committe shall be maintained properly and in such manner as may be required by the Central or state Authority and shall in this regard be subject to the provisions of section 18.

CHAPTER III

Legal Services

9. Criteria for giving Legal Services

1. Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services may be provided by the committee in matters before the high court or central

समिति को किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण को सूचित करते हुये दिया जाय;

(ग) कोई अन्य धनराशि जो किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से समिति द्वारा प्राप्त किया जाय।

2. समिति की निधियों का रख-रखाव समिति द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में किया जायेगा। सचिव समिति के बैंक खाते को अध्यक्ष के निर्देशानुसार चलायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं के सभी खर्चों के साथ-साथ समिति के विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक खर्चों को समिति की निधियों से वहन किया जायेगा।

4. समिति का लेखा उचित रूप से और धारा 18 के उपबन्धों के अद्याधीन रहते हुये ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित की जाय रखा जायेगा।

अध्याय तीन

विधिक सेवायें

9. विधिक सेवायें दिये जाने का मानदण्ड

1. उच्च न्यायालय या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद और लखनऊ में और राजस्व परिषद्, इलाहाबाद और लखनऊ में या किसी विधि के अधीन इलाहाबाद में न्यायिक कृत्यों के प्रयोग के लिए गठित जिला न्यायालयों से भिन्न किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामलों में समिति द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती हैं।

2. कोई व्यक्ति विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है;

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है; या